भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1589

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

कोबरा फोर्स

†1589. श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत/स्थापित कमांडो बटालियन्स फॉर रिजोल्यूट एक्शन (सीओबीआरए) का ब्यौरा क्या है;
(ख) कोबरा स्वीकृत/रिक्त पदों की कुल संख्या क्या है;
(ग) क्या कोबरा को युद्धक अभियानों हेतु आवश्यक वांछित गोला बारूद और हथियार उपलब्ध काराए गए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी धन राशि आवंटित/उपयोग की गई है;
(ड़) क्या नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों तैनात कोबरा बटालियनों को पर्याप्त आवसीय क्वार्टर और राशन सुविधाए उपलब्ध कराई गई है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुविधाएं प्रदान की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क): गत 3 वर्षों में कोई भी कमांडो बटालियन फार रिजेल्यूट एक्शन (कोबरा) मंजूर/गठित नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2008-09 में दस (10) कोबरा बटालियनें मंजूर की गई थी। जिनका गठन कर लिया गया है।

(ख): कोबरा बटालियनों में कुल स्वीकृत पद 10609 हैं। इस समय रिक्तियों की कुल सं. 664 है।

(ग): कोबरा को संघर्ष अभियानों के लिए जरूरी पर्याप्त गोलाबारूद और हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। लोकहित में हथियारों के ब्यौरों का खुलासा नहीं किया जा सकता है।

(घ): वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान आबंटित/उपयोग की गई निधियां निम्नानुसार है:-

विवरण	वर्ष2014-15 (लाख रू. में)	वर्ष2014-16 (लाख रू. में)	वर्ष 2016-17 (दो महीनों अर्थान अप्रैल और मई, 2016 के लिए)
आबंटित	2926.33	3641.88	1045.92
उपयोग की गई	2123.28	3572.59	-

(ङ) से (च): 2960 पारिवारिक क्वार्टरों के कुल अनुमोदन की तुलना में 2042 पारिवारिक क्वार्टरों का निर्माण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 596 क्वार्टर निर्माण हेतु मंजूर किए गए हैं। शेष कार्मिकों को बैरकों और पूर्व-निर्मित सैन्य कुटियों में रखा गया है। सभी कोबरा कार्मिकों को मानकों के अनुसार राशन भत्ता उपलब्ध कराया जाता है। कोबरा कार्मिक विभिन्न प्रकार के भत्तों जैसे समुद्री कमांडो (एमएआरसीओएस) भत्ता, किट रखरखाव भत्ता, समर्पित मेंडेकला सुविधाओं के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों/जिलों (राज्य की राजधानियों के सिवाय) में तैनात/कार्यरत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों को अन्तिम तैनाती के स्थान पर सरकारी आवास को रखे रहने की भी अनुमति प्रदान की है, जैसाकि समय-समय पर सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है।